

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 19.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Nama Nageswara Rao** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **407** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	DEVULAPALLY DANUSH	SH. UPENDER MOB- 9912913389	3	KHAMMAM
2	REKHA GREESHMA	SH. MURALI MOB- 9912163747	1	KHAMMAM
3	SESHAM KALYAN	SH. VENKATA RAMANA MOB- 9985378143	1	KHAMMAM
4	PRODDUTOORI SANVI	SH. KRUPAKAR REDDY MOB- 9553131486	4	KHAMMAM
5	MOHAMMED AARIZ NAQEEB	SH. NADEEM MOB- 9703094745	1	KHAMMAM
6	GANAGAVARAPU GYAANDEEP CHOWDARY	SH. YUGANDHAR MOB- 9885355392	2	KHAMMAM
7	KAMATHAM PRANITHA	SH. BHASKAR RAO MOB- 9949220473	4	KHAMMAM
8	MANDAVA ROSHAN SAI REDDY	SH. SUMANTH REDDY MOB- 9392080999	1	KHAMMAM
9	THATIKONDA SOURYA	SH. VIJAY KUMAR MOB- 9666066000	6	KHAMMAM
10	ENAPANURI NEHAR SREE	SH. RAMAKRISHNA MOB- 9542629468	3	KHAMMAM

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पत्रा ठाकुर  
19/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Nama Nageswara Rao माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

Dr